[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

आपको फायदा पहुंचाना चाहता है तो स्टेट ओनरशिप के बेसिस पर आप उन्हें साझीदार बनाइये। जहां आनरशिप आपके हाथ में रहता है और कमिशन के तौर पर आप लोगों को देते हैं लीज के रूप में न दें और उनको ओनर न बनायें तो आपको बहुत ज्यादा यह शिकायतें नहीं सुनने को मिलेंगी ।

18.00 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTY-SIXTH REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): Sir, I beg to present the Eighty-sixth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions.

18.01½ hrs.

DE-SCHEDULING* OF SCHEDULED CASTES

Mr. Chairman: We will now take up the half-an-hour discussion.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जमातों की सूची के संशोधन और अनुसूचित जातियों के अनुसूची से निकाले जाने के बारे में चर्चा उठाने का मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं और मैं शुरू में ही यह बात कहना चाहता हूं कि बहुत दिन से यह मामला पड़ा हुआ है ।

सभापति महोदय : हाफ ऐन आरर डिस्कशन के बाद हम आधा घंटा और बैठ सकते हैं । अगर आपकी इच्छा हो तो आप बैठे रह सकते हैं ।

श्री न० प्र० यादव (सीतामढ़ी) : मैं दो घंटा तक बैठने के लिए तैयार हूं । मुझे टाइम ही नहीं मिला है । (**व्यवधान**)..

श्री दे० शि० पाटिल : इस मंत्रालय का भार जिन्होंने संभाला है वह आदर्णीय श्रीमती चन्द्रशेखर स्टेट वाइज मीटिंग रख कर बहुत जल्दी यह सवाल हल करने की कोशिश कर रही है । उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं । दो सवाल इसमें आते हैं सभापति जी। एक तो प्रादेशिक प्रतिबंध हटाने का और सूची का परीक्षण करने का है । जो लिस्ट बनायी जाती है वह स्टेट-वाइज लिस्ट रहती है लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम, केरल मध्य प्रदेश और विदर्भ में शिड्यूल्ड और नान-शिड्यूल्ड एरिया ऐसी लिस्ट बनायी जाती है । शिड्यूल्ड एरिया में जो लोग रहते हैं उनको तो शिड्यल्ड ट्राइब माना जाता है । लेकिन शिड्यूल्ड एरिया के बाहर जो लोग रहते हैं उनको आदिवासी या शिड्यूल्ड ट्राइब नहीं माना जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि मेम्बर आफ दि सेम कास्ट अगर शिड्यूल्ड एरिया के बाहर रहता है तो आदिवासी नहीं माना जाता है और इस का परिणाम यह होता है कि उसको किसी भी केन्द्रीय स्कीम का फायदा नहीं मिलता इस एरिया रेस्ट्रिक्शन की वजह से । सभापति महोदय, मेम्बर्स आफ दि सेम फेमिली में भी डिस्टिंक्शन किया जाता है । अगर पिता शिड्यूल्ड एरिया में रहता है तो शिड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है, लेकिन अगर उसका लड़का शिड्यूल्ड एरिया के बाहर रहता है तो वह आदिवासी नहीं माना जाता है और इस कारण कोई भी एजूकेशनल फैसिलिटी या एम्प्लायमेंट

*Half-An-Hour Discussion.